उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अनुभाग–1

अधिसूचना

18 जून, 1975 ई०

सं० 1127/रा०–1––2 (3)–75––उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961) की धारा 44, उपधारा (2) खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्न-लिखित नियमावली बनाते हैं जिसे अधिसूचना संख्या 1127/ राजस्व––1–75, दिनांक 9 मई, 1975 के अधीन पहले ही उक्त अधिनियम की धारा 44, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जा चुका है :––

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975

1––संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 कहलाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2––नए नियम 64 का बढ़ाया जाना धारा 44 (2) (घ)––उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 में, नियम 63 के पश्चात् निम्नांकित नियम बढ़ा दिया जाय :––

"64–धारा 13, 14 (5) तथा 21 (2) के अधीन दायर की जाने वाली प्रत्येक अपील पर 15 रुपए का न्यायालय शुल्क लिया जायगा।"

टिप्पणी––12 जुलाई, 1973 तक यथा परिष्कृत तथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 को बाद में नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं के अधीन संशोधित किया गया :––

1––संख्या 11/11––3 (2)–73–राजस्व–1, दिनांक 20 जुलाई, 1974।

2––संख्या 2 (2)/75–राजस्व–1, दिनांक 2 अप्रैल, 1975।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी० एस० यू० पी०––13 सा० (राजस्व)–25–7–75––2310 (मोनो)।